न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), बीसलपुर, पीलीभीत।

मूलवाद संख्या 28/2015

डा0 सर्वेश कुमार बनाम न0पा0परि0बीसलपुर आदि।।

<u>दिनांक 18.04.2018 लन्चबाद</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली वाद बिन्दु संख्या 04 एंव 05 के निस्तारण हेतु नियत है। वाद बिन्द संख्या 04 एवं 05 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 04

उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई एवं निस्तारण करनें का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?

उक्त वादबिन्दु प्रतिवादी पक्ष के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि इस वाद को सुनने एवं उसका निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि इस वाद को सुनने एवं उसका निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी पक्ष द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बंध में उक्त वाद **स्थाई निषेधाज्ञा** हेतु योजित किया गया है। चूंकि वाद के मूल्यांकन एवं प्रदत्त न्यायशुल्क सम्बंधी वाद बिन्दु संख्या 02 व 03 प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध निर्णीत किए जा चुके हैं तथा प्रकरण इस न्यायालय के दीवानी क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित है। हालांकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क तो अवश्य दिया गया है कि इस वाद को सुनने एवं उसका निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण प्रतिवादी पक्ष के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार उक्त वादबिन्दु वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

सिविल जज,(जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–05

उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रस्तुत वाद आदेश–07 नियम–11 सिविल प्रकिया संहिता के प्राविधानों से बाधित है?

उक्त वादबिन्दु प्रतिवादी पक्ष के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है।

प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि दावा वादी आदेश–07 नियम–11 सी.पी.सी. के प्रावधानों से बाधित है। इसके विपरीत वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि दावा वादी आदेश–7 नियम–11 सी.पी.सी. के प्रावधानों से बाधित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी पक्ष द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध **स्थाई निषेधाज्ञा** हेतु योजित किया गया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति में वादी के कब्जे व दखल में हस्तक्षेप करने के कारण वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। वाद के मूल्यांकन, न्याय शुल्क तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार सम्बंधी वाद बिन्दु वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध निर्णीत किये जा चुके हैं। वाद पत्र के कथनों से यह प्रतीत होता है कि दावा वादी किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है तथा उक्त वाद दो प्रतियों में दाखिल किया गया है। वादी पक्ष द्वारा इस आदेश के नियम–9 के उपबंधों का भी अनुपालन किया जा चुका है। हालांकि

प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह तर्क तो अवश्य दिया गया है कि दावा वादी आदेश–07 नियम–11 सी.पी.सी. के प्रावधानों से बाधित है, परन्तु इस तर्क के समर्थन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण प्रतिवादी पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है। इससे स्पष्ट है कि दावा वादी आदेश–07 नियम–11 सी.पी.सी. के प्रावधानों से बाधित नहीं है। तद्नुसार उक्त वाद बिन्दु वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 28.05.2018 को पेश हो।

सिविल जज,(जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।